संख्या :1243 / उन्तीस (1)/2017/(02 अधि0)/2017

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2017

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1

विषयः उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेंशनरों को राज्य कर्मचारियों की भाँति दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग (वे0आ0–सा0नि0) के संकल्प संख्या–289/XXVII (7)30(7)/2016, दिनांक 27.12.2016 एवं अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016, शासनादेश संख्या–291/XXVII(7)30(8)/2016, दिनांक 29.12.2016, शासनादेश संख्या–266/45/XXVII(10)/2016, दिनांक 30.12.2016 तथा शासनादेश संख्या– 267/45/XXVII(10)/2016, दिनांक 30.12.2016 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या– 1185/वि0अनु0/ 02/बोर्ड अनु0 (17 वीं)/2017–18, दिनांक 20.05.2017 के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स/वेतनमान/पेंशन इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जाएगा।
2. उत्तराखण्ड जल संस्थान में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016 में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।
3. उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVII (7)30(14)/2017, दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. उत्तराखण्ड जल संस्थान की सीधी भर्ती के पदों को फीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजना के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की प्रकिया गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्स से तैनाती का कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार नियत मानदेय का भुगतान किया जाय, भविष्य में उत्तराखण्ड जल संस्थान में स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती की जायेंगी।
5. इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के आधार पर वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए शासनादेशों में दिए गए निर्देशानुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवारत कार्मिकों/पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतनमान लागू किए जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों को सातवां वेतनमान

2–

अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्यय–भार जल संस्थान द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और न ही राज्य सरकार से पुनरीक्षित वेतनमान की अन्तर की धनराशि की मांग की जाएगी। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा मितव्यतता सुनिश्चित करते हुए आय हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0–167/xxvii(10)/2017, दिनांक 22.09.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या : 1245/ उन्तीस (1)/2017/(02 अधि0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी–सचिव, पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निजी–सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।